न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमति निशा सहारण

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 79/2023

1. श्योराम पुत्र पांचू उम्र करीबन 45 वर्ष
2. सीताराम पुत्र पांचू उम्र करीबन 37 वर्ष सर्व जाति यादव सर्व निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र बालू
2. रामसहाय पुत्र बालू
3. रामलाल पुत्र बालू
   सर्व जाति यादव सर्व निवासी ग्राम पाटन तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
4. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थीः– श्री रामदेव गुर्जर

दिनांक 02/7/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रामदेव गुर्जर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया है जिसमें प्रार्थीयागण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है परन्तु वाद के निस्तारण में समय लगना स्वभाविक है इसलिए वाद के साथ यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त, खातेदारी, उपयोग–उपभोग की कृषि भूमि ग्राम पाटन, पटवार क्षेत्र पाटन, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान में अवस्थित है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 90 रकबा 0.9142 हैक्टेयर भूमि जिसमें प्रार्थीगण का 1/2–1/2 हिस्सा निहित है। जिसमें किसी भी अन्य दिगर व्यक्ति का कोई हक हिस्सा, अधिकार, निहित नही है। उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की सहखातेदारी में अधिकार अभिलेख में इन्द्राज है। जिसका प्रार्थीगण मौके पर तारबन्दी करके काबिज काश्त व उपयोग–उपभोग करते आ रहे है जिसमें प्रार्थीगण ने उक्त आराजी को अथाह आर्थिक व शारीरिक परिश्रम करके उपजाऊ योग्य कृषि भूमि तैयार की गयी एवं चौतरफा तारबन्दी करवायी गयी एवं उक्त आराजी में उपजाऊ करने के लिये अन्य मिट्टी डलवाई गयी जिसमें लाखो रूपये का आर्थिक व्यय हुआ है उपरोक्त अंकित सुधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत कृषि भूमि के सुधार की श्रेणी में है उपरोक्त भूमि से आय अर्जित कर प्रार्थीगण अपने परिवार एवं अपने मवेशियो का पालन–पोषण होता आ रहा है। प्रार्थीगण गरीब तबके के व्यक्ति है एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा एक अवैध गिरोह तैयार करके प्रार्थीगण की भूमि में अतिचार, अतिक्रमण करके प्रार्थीगण के कृषि कार्य में मदाखलत / दखल अंदाजी करने पर आमादा है जबकी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 का प्रार्थीगण की आराजी में कोई हित अधिकार नहीं है। फिर भी प्रार्थीगण की भूमि को हडप करने के अवैध मन्सुबे में प्रार्थीगण की भूमि में जबरन कब्जा, अतिचार, अतिक्रमण करने की मंशा से अवैधानिक कृत्य किया जा रहा है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 एवं इसके परिवार, सगे–सम्बन्धि, नौकर, चाकर, एजेन्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने हेतु श्रीमान् के समक्ष वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा दिनांक 26.05.2023 को प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त भूमि में अपनी सहखातेदारी की भूमि पर कृषकिय कार्य करके दिनांक 27.05.2023 को बन्धे के बालाजी के सवामणी में गये थे पीछे से अप्रार्थीगण द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

क्त आराजीयात में पावटा/उलट दिया प्रार्थीगण सांय को उपरोक्त आराजी पर आये तब अप्रार्थीगण के वैधानिक कृत्य की जानकारी होने पर उन्हे उल्हाना दे गये तब अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के साथ गाली–गलोच करके लडाई–झगड़ा करने पर आमादा हो गये तत्पश्चात् दिनांक 28.05.2023 को अप्रार्थीगण मौके पर आकर अवैधानिक अतिचार, अतिक्रमण करने के उद्देश्य से प्रार्थीगण के साथ मारपीट करने लग गये एवं प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हो। जिस बाबत् प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 29.05.2023 को पुलिस थाना बान्दरसिन्दरी में शिकायत पेश की गयी परन्तु किसी भी प्रकार से कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गयी एवं अप्रार्थीगण द्वारा बार–बार उपरोक्त आराजीयात पर अवैध अतिचार, अतिक्रमण करने पर आमादा है। इस कारण से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें की प्रार्थीगण की खातेदारी में प्रार्थीगण के कृषकिय कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे प्रार्थीगण को मौके से बेदखल नहीं करें, अतिचार, अतिक्रमण नहीं करें एवं प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है चुंकि उपरोक्त आराजीयात में किसी अन्य दिगर व्यक्ति का कोई हक, हिस्सा, अधिकार, स्वत्व नही है। अप्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से प्रार्थीगण की भूमि को हड़प करने के अवैध उद्देश्य से अवैधानिक कृत्य किया जा रहा है प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण अपने अवैध मन्सुबें में कामयाब हो जायेगे तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति कारीत होगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से किया जाना सम्भव नहीं होगा। अप्रार्थी संख्या 4 भू–धारी होने से प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना करवाने के लिये सक्षम अधिकारी होने से पक्षकार संयोजित किया गया है। श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त, खातेदारी, उपयोग–उपभोग की कृषि भूमि ग्राम पाटन, पटवार क्षेत्र पाटन, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान में अवस्थित है। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 90 रकबा 0.9142 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा किसी प्रकार का ब्लात अतिचार, अतिक्रमण नहीं करें एवं प्रार्थीगण के कृषकिय कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, मौके से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, प्रार्थीगण द्वारा बोई गयी फसल को नष्ट नहीं करें, एवं मौके पर लगी तारबन्दी को क्षति नही पहुचाये, प्रार्थीगण को मौके से बेदखल नही करे, प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 एवं सगे–सम्बन्धि, रिश्तेदार, परिवारजन, नौकर, चाकर, एजेन्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2023 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये सम्मन की गई। दिनांक 27.07.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की ओर से वकील श्री डी.सी. सेठी उपस्थित हुये। दिनांकअ 21.08.2023 को अप्रार्थी अधिवक्ता 01 व 03 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया गया कि खसरा नम्बर 90 की भूमि पर बालू पुत्र मंशा का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चल रहा है और बालू को पक्षकार नही बनाने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्यगण है। पूर्व में यह खसरा नम्बर बिलानाम था और इस पर कब्जा काश्त पूर्व ही अप्रार्थीगण के दादा पूर्वजो का था तथा बिलानाम होने से यह जमीन राजस्व रिकार्ड में सरकार के नाम थी तथा बाद में प्रार्थीगण के दादा ने पारिवारिक कृषि भूमि होने से यह जमीन श्योराम यादव जिसकी जन्म तारीख 4.4.1978 है। जब वह श्योराम मात्र 6 वर्ष के लगभग नाबालिग था। तब पारिवारिक भूमि होने से 21.7.84 को कैम्प पाटन में नाबालिग श्योराम के अलाट कराई यह अलाट विधि विरूद्ध था और अलाट की तारीख से ही इस पर बालू का कब्जा उपयोग रहा है और बालू के कब्जे मालिकाना हक की हुई थी और बाद में प्रार्थीगण श्योराम से व परिवार के सभी सदस्यो की सहमति रही है और इससे पूर्व सम्वत् 2019 से 2028 तक और उक्त भूमि पर बालू के पिता मंशा का कब्जा काश्त रहा है जिसके समर्थन में मिलान क्षेत्रफल व खसरा गिरदावरी की नकल पेश है। तथा श्योराम को 6 वर्ष की उम्र में विधि विरूद्ध अलाट की अलाटमेन्ट की नामान्तकरण की नकल पेश है। और श्योराम की स्कूल जन्म प्रमाण पत्र की एसआर रजिस्टर की नकल पेश है एवं प्रार्थना पत्र मे श्योराम की उम्र 45 वर्ष है तो 1984 में गणित के हिसाब से उनकी उम्र 6 वर्ष थी अतः उनका नामान्तकरण अलाटमेन्ट अवैध है प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। जमीनो के भाव बढ़ जाने से व श्योराम की नियत बदलने से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण परिवार में उक्त जमीन बाबत झगड़े होने लगे तो गांव वालो ने व रिश्तेदारो ने झगडा समाप्त करने के लिए श्योराम को रूपये दिलाकर एक इकरारनामा बालू के पक्ष में श्योराम से लिखवाया जिस इकरारनामे मे पेज नम्बर 2 की लाइन नम्बर 13 विक्रित हिस्सा का कानूनी रूप से क्रेता बालू से सुपुर्द्ध श्योराम ने सुपुर्द्ध किया और यह पारिवारिक अनरजिस्टर्ड इकरारनामा जो इमानदारी से लिखा गया है। अप्रार्थी इस इकरारनामे को कब्जे बाबत कानूनी रूप से अपने बचाव के लिये बालू अप्रार्थी ढाल के रूप में सहायता ले सकता है। इस प्रकार उक्त भूमि का कानूनी मालिकाना हक उक्त भूमि पर बालू का बारह वर्षों से कब्जों

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ

होने से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर व दस्तावेजो के आधार पर कानूनन् बालू उक्त भूमि का दार काश्तकार है। उक्त भूमि पर सम्वत् 2019 से बालू पिता मंशा का कब्जा काश्त होने से व बाद में लू का कब्जा काश्त होने से बालू उक्त भूमि का कानूनन् मालिकाना हक रखता है और बालू से कभी भी ानिक तरीके से व कानूनी तरीके से कभी भी बालू से कब्जा प्रार्थीगण ने प्राप्त नही किया है। अतः उक्त भूमि पर 12 वर्षों से अधिक का कब्जा काश्त बालू का होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है क्योंकि प्रार्थीगण का कोर्ट द्वारा कब्जा लेने का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर हो गया है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु बालू के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है क्योंकि बालू को पक्षकार नही बनाने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 9 के कथन अस्वीकार है। कि विवादग्रस्त भूमि पर 12 वर्षों से अधिक का कब्जा काश्त बालू का होने से प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है तथा अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीगण को धमकी नही दी काश्त में व्यवधान नही किया क्योंकि उक्त भूमि पर बालू का कब्जा है। विशेष कथन में स्पष्ट जबाब दिया गया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को मय हर्जे खर्चे सहित खारिज करने की कृपा करावे। दिनांक 19.12.2023 को प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। दिनांक 12.08.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से वकील श्री अभिषेक सिंह द्वारा अन्डरटेकिंग ली गई किन्तु दिनांक 21.04.2025 तक भी वकालतनामा पेश नहीं करने से दिनांक 21.04.2025 को उनकी अन्डरटेकिंग खारिज की गई तथा वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

दिनांक 19.05.2025 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया। हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । हमारे द्वारा धारा 212 राज. का.अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार प्रार्थना पत्र का विवेचन किया गयाः—

प्रथम दृष्टया प्रकरणः— वादअधीन भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा अतिक्रमण के बाबत, प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे सिद्ध हो कि वादअधीन भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा अवैध अतिचार, अतिक्रमण किया गया हो, जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

सुविधा का संतुलनः— :— वादअधीन भूमि वर्तमान में प्रार्थीगणों की सहखातेदारी की भूमि है एवं प्रार्थीगण द्वारा जरिये दस्तावेज यह सिद्ध नहीं किया गया कि अप्रार्थीगणों द्वारा किस प्रकार प्रार्थीगणों के कृषि कार्य में मदाखलत की जा रही है। अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही है।

अपूरणीय क्षतिः— प्रार्थीगणों द्वारा उक्त तथ्य सिद्व नहीं किया गया है कि अप्रार्थीगण पडोसी खातेदार हैं अथवा नहीं अथवा किस आधार पर उनके द्वारा प्रार्थीगणों के कृषि कार्य में मदाखलत की जा रही है। अतः प्रार्थीगण अपूरणिय क्षति के बिन्दु को सिद्ध करने में असफल रहें हैं।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अन्य बिन्दु वाद विचारण के दौरान साक्ष्य एवं सबूतों के आधार पर तय किये जायेंगें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02/7/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमं हो

निशा सहारण (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)